an>

Title: Regarding reservation quota for Scheduled Tribes and OBC.

**श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर):** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़चिरौली-चिमुर की ओर दिलाना चाहता हूं। वह क्षेत्र देश का बहुत ही पिछड़ा, घना आदिवासी बहुल व नक्सल प्रभावित जिला है। गढ़चिरौली जिले में बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज रहता है। साथ ही ओबीसी समाज भी बड़े पैमाने पर रहता है। वहां के ओबीसी समाज का आरक्षण 1995 से पहले 19 प्रतिशत था। 1995 के बाद उनका आरक्षण 6 प्रतिशत कर दिया गया। इससे उनके मन में बहुत असंतोष है। वहां आदिवासी का आरक्षण 24 प्रतिशत किया गया है। उनका कहना यह नहीं है कि आदिवासी का आरक्षण 24 प्रतिशत क्यों किया गया, उनका कहना है कि हमारा जो 19 प्रतिशत आरक्षण था, वह उतना ही किया जाए।...(व्यवधान) पूरे देश में जो कानून बना हुआ है, पूरे देश के 52 प्रतिशत समाज के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। उसके मुताबिक हर राज्य में आरक्षण दिया गया है। कुछ राज्यों में कम, ज्यादा दिया गया है। जैसे महाराष्ट्र में 19 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जो सभी जिलों को मिलता था। लेकिन वर्ष 1995 के बाद गढ़चिरौली जिले के ओबीसी समाज के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण किया गया। इसलिए उनके मन में बहुत असंतोष फैला हुआ है। इसके लिए उन्होंने कई बार आंदोलन किया। सरकार से कई बार निवेदन किया, कॉरेसपोंडैंस किया। फिर भी सरकार का उनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं गया।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ओबीसी समाज का गंभीरता से ख्याल कर उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए।